भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 953

26 जुलाई, 2023

"खाद्य तेलों के मूल्य"

953. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री अरुण साव:

श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:

श्री दिलीप शइकीया:

श्री सुनील कुमार सोनी:

श्री देवजी पटेल:

श्री सुनील कुमार सिंह:

श्री मोहन मंडावी:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री विजय बघेल:

डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक मूल्यों में जारी मौजूदा गिरावट के बीच खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों को कम करने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्य तेलों के वैश्विक मूल्यों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): भारत सरकार खाद्य तेलों के घरेलू खुदरा मूल्यों की बारीकी से निगरानी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी का पूरा लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। खाद्य तेल के प्रमुख संघों और उद्योग के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के अनुरूप खुदरा मूल्यों को कम करने का परामर्श दिया जाता है।

.....2/-

इसके अलावा, घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने और किफायती बनाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया था। इन तेलों पर कृषि उपकर को 20% से घटाकर 5% किया गया था। दिनांक 30 दिसंबर, 2022 को इस शुल्क संरचना को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया था और दिनांक 21.12.2021 को रिफाइंड पाम तेल पर मूल शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था। इस शुल्क को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- सरकार ने रिफाइंड पाम तेलों के मुक्त आयात को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।

दिनांक 20.07.2023 की स्थिति के अनुसार, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल जैसे प्रमुख खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक कमी आई है। सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों के कारण, रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलीन के खुदरा मूल्यों में एक वर्ष में क्रमश: 29.04%, 18.98% और 25.43% तक की कमी आई है।

(ग): सरकार द्वारा की गई नवीनतम पहल में, दिनांक 15.06.2023 से रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।

****